न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-391RAAJodhpur2024-213RTA225 Kharataram Vs Mangilal etc

खरताराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम, जाति जाट निवासी ग्राम बड़लिया, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मांगीलाल पुत्र श्री लालाराम
2. हड़मानराम पुत्र श्री लालाराम
3. दुर्गाराम पुत्र श्री लालाराम
4. श्री राम पुत्र श्री लालाराम
5. राजुराम पुत्र श्री गोमाराम के कायम मुकाम
   - 5.1. फरसाराम पुत्र श्री राजुराम
   - 5.2. प्रभुराम पुत्र श्री राजुराम
   - 5.3. श्रीमति मानीदेवी पत्नि श्री राजुराम
     सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बड़लिया, तहसील झंवर, जिला जोधपुर
   - 5.4. श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री श्री राजुराम पत्नि श्री अचलाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम उतेसर तहसील लूणी जिला जोधपुर।
   - 5.5. श्रीमति चुन्नीदेवी पुत्री श्री राजुराम पत्नि श्री नैनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर।
   - 5.6. श्रीमति माडीदेवी पुत्री श्री राजुराम पत्नि श्री जसाराम जाति जाट, निवासी ग्राम मेहलावास, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
   - 5.7. श्रीमति लीलादेवी पुत्री श्री राजुराम पत्नि श्री बालुराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जुणावा की ढाणी, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर।
6. डूंगरराम पुत्र श्री गोमाराम
7. श्रीमति जैती पत्नि श्री राणाराम
8. सोहनराम पुत्र श्री राणाराम
9. नरेश पुत्र श्री राणाराम
10. मंजु पुत्री श्री राणाराम
11. रेखा पुत्री श्री राणाराम
12. करनाराम पुत्र श्री बिरदाराम के कायम मुकाम
    - 12.1. उर्जाराम पुत्र श्री करनाराम
    - 12.2. ईष्वरलाल पुत्र श्री करनाराम
    - 12.3. भंवरलाल पुत्र भी करनाराम
    - 12.4. खुमाराम पुत्र श्री करनाराम

12.5. श्रीमति सिणगारीदेवी पत्नि श्री करनाराम
12.6. श्रीमति अणसीदेवी पुत्री श्री करनाराम
12.7. श्रीमति सुगणीदेवी पुत्री श्री करनाराम
12.8. श्रीमति धापुदेवी पुत्री श्री करनाराम
12.9. श्रीमति मीमोदेवी पुत्री श्री करनाराम
13. लूणाराम पुत्र श्री खेताराम
14. गोपाराम पुत्र श्री खेताराम
15. लक्ष्मणराम पुत्र श्री खेताराम
16. मौकाराम पुत्र श्री नरसिंगराम
17. श्रीमति बरजुदेवी पत्नि श्री बागाराम
18. धर्माराम पुत्र श्री बागाराम

सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम बडलिया तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 30 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 मांगीलाल व अन्य बनाम करनाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या उन्नीस

नि र्ण य

दिनांक : 02 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 मांगीलाल व अन्य बनाम करनाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 30 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व ग्यारह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 159 रकबा 98

बीघा 05 बिस्वा, खसरा सख्या 158 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा ग्राम हमीरनगर एवं खसरा सख्या 652 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 563 रकबा 21 बीघा, खसरा संख्या 564 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा मौजा मेहरियो की ढाणी में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 12 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 442 रकबा 07.19 बीघा ग्राम षिवगांव, अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 13 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 548 रकबा 31.17 बीघा, खसरा नंबर 551 रकबा 31.08 बीघा, खसरा नंबर 560/1 रकबा 04.06 बीघा ग्राम मेहरियों की ढाणी में सें प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्षे अनुसार 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेष दिनांक 30 जुलाई 2024 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली ं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के जवाब व बहस हेतु मुकर्रर थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अनदेखी करते हुए तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अलग–अलग प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किए बिना ही उक्त मूल प्रार्थना पत्र की एक पक्षीय बहस सुनकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अनुसार किसी खातेदार की कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर लघुत्तम मार्ग से रास्ता दिलाया जाएगा, जबकि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 01 से 11 की कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका हवाला अपीलार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें भी वैकल्पिक रास्ता बताया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किए बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 01 से 11 के अधिवक्ता द्वारा बताए गए मनगढ़त तथ्यों के आधार पर यह आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अपीलार्थी व अन्य की भूमि में से 20 फिट का रास्ता चलना बताया है, जबकि अपीलार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस बात का स्पष्ट

खंडन किया है तथा हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें भी इस प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नहीं होना बताया है। विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण में जो भी कार्यवाही की है, वह समस्त कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा जो भी कहा गया मान लिया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.07.2023 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रत्यर्थी संख्या 12 से 15 की ओर से प्रस्तुतत किया गया, लेकिन उस पर प्रत्यर्थी संख्या–16 मौकाराम, प्रत्यर्थी संख्या–17 श्रीमति बरजूदेवी, प्रत्यर्थी संख्या–18 धर्माराम और ईश्वरराम के हस्ताक्षर करवाये, जबकि ये व्यक्ति उस समय इस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे और न ही उनकी किसी के द्वारा पहचान की गई और प्रत्यर्थी संख्या–12 की ओर से उसके पुत्र ने हस्ताक्षर किये हुए है, जिसके बाबत किसी प्रकार का कोई मुख्त्यारनामा नहीं दिया गया। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में वही किया जो प्रत्यर्थी की ओर से कहा गया। प्रत्यर्थीगण की कृषि भूमि तक आने जाने के लिए नजदीकी मार्ग उनकी भूमि के पूर्व दिशा की ओर चिपते हुए खसरा संख्या 160 में से होकर चल रहे रास्ते से ही हैं। इसके अलावा बडलिया से रोहिचा कलां की सड़क से खसरा संख्या 540 व 565 में से होकर हो सकता था जिस बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसके अलावा खसरा संख्या 144, 145, 549 व 550 मे से होकर भी निकटतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर किये बिना अपीलाधीन आदेष पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–07–2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या 12 से 18 को अपीलाधीन रास्ते से कोई एतराज नहीं है। जमाबंदी में अपीलाधीन रास्ते का इन्द्राज होकर राजस्व नक्षे में तरमीम हो चुकी है। अपीलांट को अपने खसरे

के अलावा अन्य किसी खसरे के संबंध में उज्र पेष करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रष्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.07.2021 में रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प मार्क सी से डी जो खसरा नंबर 539, 540/3, 566, 565, 568 में सें बताया गया है, जिसकी दूरी 154 गट्टा बतायी गई है। द्वितीय विकल्प वांछित रास्ता मार्क ए से बी जो खसरा नंबर 442, 548, 551 एवं 560 में से बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्रों के अवलोकन के मुताबिक खसरा नंबर 561/1, 442 एवं 560 के खातेदारान् द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति प्रदान कर वांछित रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट का उज्र है रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौका फर्द दिनांक 20.07.2021 में दर्षाया गया रास्ता मार्क सी से डी लघुतम है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है कि जहां पक्षकारान् द्वारा रास्ते बाबत अपनी सहमति प्रदान कर दी जाती है, वहां सहमति के परिप्रेक्ष्य में रास्ता प्रदान किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन रास्ते से कई पक्षकारान् की जोते रास्ते से जुड़ी है। हस्तगत मामले में केवल अपीलांट का ही अपीलाधीन रास्ते बाबत उज्र है जो सद्भाविक नहीं है। अदालत हाजा के समक्ष अन्य किसी पक्षकार द्वारा रास्ते बाबत उज्र नहीं उठाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की की सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेष

पारित किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2024 मांगीलाल व अन्य बनाम करनाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 30 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर